



जहां परिग्रह है वहां धर्म नहीं, जहां आसक्ति है वहां धर्म नहीं।

Where there are accumulation of wealth and attachment to passions, there is no religion.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 240 ● वर्ष : 11 ● रायपुर, शनिवार 16 मार्च 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जेन

संक्षिप्त समाचार

लोकसभा चुनाव का आज होगा एलान, यूपी में सात से आठ चरणों में चुनाव संभव नहीं दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कल यानी 16 मार्च को किया जाएगा। विचारित आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 7 से 8 चरण में मतदान हो सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान होगा। जबकि मई के दूसरे हफ्ते तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव कुल जी चरणों में हुए थे जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए कुल सात चरणों में मतदान किया गया था। बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 चरणों में मतदान हुआ था।

अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती, 81 साल की उम्र में हुई एंजियोलासटी

सुंदरी (आरएनएस)। बालीबुड़ के बिंग बी यानि अमिताभ बच्चन की एंजियोलासटी डुर्हृ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 81 साल के अभिनेता को कंधे में तकलीफी की जब ज्ञान शुक्रवार सुबह 6 बजे भुवंहृ के कॉकिलाइन अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अभी तक अमिताभ बच्चन की जबकी तीम से इस विषय में कोई खुलासा नहीं किया गया है। लोकेन्स सूत्रों की माने तो अभिनेता की हालत रिहर है। सिख्योटिटी के बीच बिंग बी अस्पताल पहुंचे थे, वहीं, दोपहर में उहाँने अपने एक्स पर पोर्ट किया हमेशा ग्रेटिंग्डूइ।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिये 5 अहम फैसले

सरकारी कर्मचारियों का डैंग बढ़ा घार फौसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ

सातवें वेतनमान के एरियस के अंतिम किंशत की राशि भी मिलेगी

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति

पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड्डताल में समायोजित होगी हड्डताल अवधि



मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड्डताल अवधि को उनके अंतिम अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस नियम से राज्य सासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यापार आया।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति : मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मामों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उहाँने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का वेतन भुगताल पर थे।

अब महंगाई भता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भते में बढ़िया की जबाबदा के बाबत भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

सातवें वेतनमान के एरियस की अंतिम किश्त भी मिलेगी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियस की अंतिम किश्त प्रस्तुत करेंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी। इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

सातवें वेतनमान के एरियस की अंतिम किश्त भी मिलेगी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियस की अंतिम किश्त प्रस्तुत करेंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई देते हुए उनके 55 दिनों की हड्डताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अंतिम अवकाश में यह हड्डताल अवधि समायोजित होगी।

इन नियमों से हाँसी के लिए त्योहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी गहराई

संपादकीय श्रीनगर में पीएम नरेन्द्र मोदी ने बताई सच्चाई!

चुनाव से ठीक पहले

सीएए को सिर्फ सीमित चुनावी नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। बल्कि यह भाजपा की वैचारिक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए भारतीय नागरिकता को तय करने वाली कसौटियों में अब धर्म एक पहलू बन गया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया है। इसके लिए जरूरी नियम जारी कर दिए गए हैं। जाहिर है, ये कदम 18वें आम चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। खबरों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है। उस पृथग्भूमि में इसे सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक चुनावी कदम के रूप में देखा जा सकता है। महजबी आधार पर धर्वीकरण भाजपा की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है। अगर चार साल पहले की घटनाओं पर- जब सीएए पारित हुआ था- गौर करें, तो तब इस कानून के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी सिलसिले में दिल्ली में दंगा भी हुआ। इससे सांप्रदायिक धर्वीकरण को हवा मिली थी। कानून लागू होने के साथ उन सारी घटनाएं की याद ताजा हो सकती है। इसके अलावा अगर फिर से इस कानून का विरोध हुआ, तो ऐसा माहौल और अधिक गरमा सकता है। बहराहाल, इस कानून को सिर्फ इस सीमित नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। बल्कि यह भाजपा की वैचारिक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए भारतीय नागरिकता को तय करने वाली कसौटियों में अब धर्म एक पहलू बन गया है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर-मुस्लिम व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी दे सकेंगे। इस तरह मजहब नागरिकता तय करने की एक कसौटी बन जाएगा। समझा जा सकता है कि यही व्यवस्था करना इस कानून का मुख्य मकसद है। बरना, अगर उद्देश्य पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत देना होता, तो फिर इस कानून के दायरे में श्रीलंका और म्यांमार को भी शामिल किया जाता- जहां अधिकतर उत्पीड़ित व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। जाहिर है, कानून उत्पीड़ित शरणार्थियों को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय राज्य के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन के लिए बनाया गया है। भाजपा का हमेशा से यह एक वैचारिक उद्देश्य रहा है। इस बीच चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायरे याचिकाओं को लटका रखा है।

विचार

कितना कुछ जाहिर होगा?

आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही ऐसी बात शामिल है, जिससे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जाहिर होने से रह जाएंगी। फिलहाल, यह नहीं मालूम होगा कि किस व्यक्ति या उद्योग घरने ने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स संबंधित विवरण पर परदा डालने की भारतीय स्टेट बैंक की कोशिश नाकाम कर दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 15 मार्च को स्टेट बैंक से मिली जानकारियां निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होंगी। इससे देश को पता चलेगा कि इन बॉन्ड्स के माध्यम से किन लोगों या उद्योग घरानों ने राजनीतिक चंदा दिया। किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, यह ब्योरा भी आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। मगर यह सूचना तो पहले से सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध है। आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही ऐसी बात शामिल है, जिससे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जाहिर होने से रह जाएंगी। फिलहाल, यह नहीं मालूम होगा कि किस व्यक्ति या उद्योग घरने ने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया। अगर ये जानकारियां सामने आतीं, तो सिविल सोसायटी के लोग यह आकलन करने की स्थिति में होते कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी दलों को किन घरानों से कितना पैसा मिला। फिर वे यह पड़ताल करते कि क्या संबंधित सरकार ने से फैसला लेते वक्त उन खास घरानों के साथ पक्षपात किया। यानी क्या उन घरानों को कोई अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इससे वह पारदर्शिता आती, जिससे भविष्य में धनी-मानी तबकों और राजनीतिक दलों के बीच होने वाली प्रत्यक्ष लेन-देन पर रोक लगती। मगर, स्टेट बैंक ने कह दिया कि यह मिलान करने में उसे बहुत वक्त लगेगा। इस बीच उसके पास चंदा दाताओं और चंदा प्रासकर्ताओं की सूची है, जिसे वह सौंप सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि उसने कभी वह ब्योरा देने को नहीं कहा था, जिसके लिए स्टेट बैंक समय मांग रहा है। कोर्ट के इस नजरिए से उन बहुत से लोगों को निराशा हुई है, जो चुनावी चंदे में पूरी जवाबदेही के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस तरह उनके नजरिए से देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता की आंशिक जीत ही है। अब देश के मतदाताओं को अगले आम चुनाव में अपना निर्णय बिना उपरोक्त महत्वपूर्ण जानकारी के ही तय करना होगा।

इस समय भला क्यों सीएए?

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर अमल करने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा दिखता रहा तब तक इसे रोका गया। अब इसे लागू किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि भाजपा को नुकसान कम और फायदा ज्यादा दिख रहा है। यह भी कह सकते हैं कि इसे लागू करने के लिए हालात अभी अनुकूल दिख रहे हैं। लेकिन व्या अनुकूल हालात में लागू करने से इस कानून की चुनौतियां कम हो जाएंगी? चूंकि यह कानून लोकसभा चुनाव से ऐसे पहले लागू हो रहा है इसलिए सबसे पहले इसके राजनीतिक पहलुओं पर ही विचार की जरूरत है। ध्यान रहे भाजपा की केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया था। अगर विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस पर अमल रोकने का कारण 2021 के मई में होने वाले विधानसभा चुनाव थे। मई 2021 में एक ही साथ असम और पश्चिम बंगाल दोनों के चुनाव होने वाले थे। अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव अलग हो रहा होता तो सरकार इसे लागू कर सकती थी। लेकिन सरकार और भाजपा दोनों को अंदाजा था कि असम के चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। असम में इस कानून के खिलाफ ही लुप्तिजोत गौगोई और अन्य लोगों ने मिल कर असम जातीय परिषद का गठन किया था और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। अस्सी के दशक में हुए असम समझौते को लेकर बेहद संवेदनशील कई जातीय समूहों ने इसका विरोध किया।

श्रुति व्यास

संविधान के अनुच्छेद 370 की जद से जम्मकश्मीर को बाहर किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने मोदी 7 मार्च को पहली बार कश्मीर घाटी पहुँचे प्रधानमंत्री बौतौर दूसरी पारी में यह उनकी पहली कश्मीर यात्रा थी। दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत व उनकी सरकार ने उस संवैधानिक प्रावधान को जम्मकश्मीर से हटाने की कवायद शुरू कर दी थी, जो राज्य को पीछे धकेल रहा था, उसकी प्रगति की राह में रोक था। गत 7 मार्च को पहली बार उहोंने कश्मीर से हटा यह याद दिलाया कि अनुच्छेद 370 कश्मीर का गल घोंट रहा था। अगर राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए यह याद दिलाने की लिए कश्मीर से बेहतर जगह कौन-सी हो सकती थी? यह एक महत्वपूर्ण यात्रा जिसमें मोदी ने कई सन्देश दिए, जुमलेबाजी भी व और अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन भी किय उहोंने एक बार फिर याद दिलाया कि जो नैरेटिव बुनत हैं, उससे ज़रा भी इधर-उधर नहीं होते। कश्मीर को हमेसा से दुहा और बेचा जाता रहा है झ़ राजनीतिक सन्दर्भ में, सामाजिक सन्दर्भ में, भावनात्मक असांस्कृतिक दृष्टि से, धर्म और पहचान की नाम पर अपनी-अपनी आपवायी के ज़रिये। वहां के रहवासियों झ़ मुसलमानों और पर्डिंतों झ़ दोनों ने उसे बेच अपने-अपने नैरेटिव के ज़रिये। और दोनों के नैरेटिव में दर्द है और दोनों के नैरेटिव दिल दहलाने वाले हैं। फिर कलाकारों, फोटोग्राफरों और फिल्म निर्माताओं कश्मीर को बेचा। उसकी कुदरती खूबसूरती अथवा खूनखराबा, वहां की हसीन वादियाँ और हवा में तैरने वाले, शांत माहाल को चीरती आहें और गुस्सा झ़ इस सबको अगाधित बार दुहा और बेचा गया। अनुच्छेद 370 और 35ए के विशेष प्रावधानों से कश्मीरियों व कोई विशेष लाभ नहीं मिला झ़ न आज़दी, न गौरव, न स्वायत्ता और ना शांति और ना ही किसी लाभ व गारंटी। कश्मीर को बेच कर सबने फायदा कमाया और सबसे बड़े लाभार्थी थे राजनेता। जब राजनीति बांत



लगती है, जहार फैलने लगती है तब सबसे ज्यादा कष्ट भोगते हैं आम लोग। कशमीर और उसके लोगों झुँविशेषकर उन मुसलमानों, हिन्दुओं, सिक्खों और ईसाईयों ने जो अपने घर छोड़ कर नहीं गए और जो उथलपुथल और नीरवता दोनों को झेलते हुए वहीं रहे आए झुँवे ने बहुत कुछ भोगा है और बहुत लम्बे समय तक भोगा है। शांति के दिन छोटे और कम रहे और गड़बड़ियों और बेचैनी के रातें लम्बी और ज्यादा रहीं। बल्कि बेचैनी, असंतोष और गुस्सा कशमीर की पहचान बन गए। सन 2019 के चुनाव में भी कशमीर को एक राजनैतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कशमीर पर लिखा गया, कशमीर पर बोला गया, कशमीर पर फिल्में बर्नीं। इन सबमें जो नैरेटिव बनाए गए उनमें भी और राजनैतिक प्रचार में भी, हिंसा छाई रही। और हिंसा ही कशमीर का नैरेटिव बन गई। कशमीर विलाप और विधाद की घाटी बन गई। मगर 5 अगस्त, 2019 को इस सब पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। नतीजा यह कि कईयों के लिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो निर्णय लेना जानते हैं और जो निर्णय लेते हैं। वे एक तानाशाह नेता लगते हैं, उनके व्यवहार में दादागिरी का पुट है, नीतियों के निर्माण और उन पर

अमल का उनका तरीका गैर-प्रजातान्त्रिक प्रतीत होता है और आने वाली पीढ़ियों को कदाचित उनकी विरासत उनी शानदार नहीं लगेगी जितनी हमें अभी लगती है। लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने जो किया उसके लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे और 370 एक ऐसा अंक होगा जो भुलाया नहीं जा सके। कश्मीर की बेड़ियाँ काट दी गई हैं। दर्द और दहशत के नैरेटिव के सौदागरों को नये नैरेटिव ढूँढ़ने पड़ रहे हैं। इनमें अब प्रजातंत्र के अभाव का मसला जुड़ गया है। इस 2019 के बाद कश्मीर की मोदी की इस पहली यात्रा के राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। आम चुनाव के बहले मोदी ने बख्शी स्टेडियम के मंच से अपना नैरेटिव देश के सामने पेश किया। वसंत की उस सुबह हवा में ठंडक तो थी मगर आसमान साफ़ था और धूप भली लग रही थी। प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात बख्शी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लिए 370 केवल एक नंबर नहीं है बल्कि एक गंभीर सोच का प्रतीक है। वे उस नैरेटिव से ज़रा भी इधर-उधर नहीं हुए, जो नैरेटिव उन्हें ताकत देता है। चुनाव की पूर्वसंध्या पर कश्मीर के दिल से उन्होंने दरअसल कश्मीर को नहीं बल्कि भारत को संबोधित किया। उन्होंने याद दिलाया।

कि 2019 में उन्होंने कश्मीर के बारे में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने भारत को उन दीवारों की याद दिलाई जो कश्मीर और शेष भारत के बीच तामीर कर दी गई थीं। उन्होंने कश्मीर के पुरोगे राजनीतिज्ञों को गन्धी करतूतों की याद दिलाई जिन्होंने कश्मीर को इंसानियत, जम्मूरियत और कश्मीरियत से जुदा कर दिया था। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि उसी वेदना में से कमल खिला है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि कश्मीर को अब एक नई राजनीति आकार दे रही है जो कश्मीर के लोगों को देश की अन्य हिस्सों के लोगों से जोड़ रही है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि ‘विकसित भारत’ के उनके मिशन का कश्मीर एक आवश्यक हिस्सा है और वह उसमें एक आवश्यक भूमिका निभाएगा। इसके पहले कि मैं नरेन्द्र मोदी की ‘नई राजनीति’ के पीछे की राजनीति की बात करूं और उनके नैरेटिव पर आऊं, थोड़ी चर्चा नए जम्मू-कश्मीर की। हो सकता है कि आप हर चीज़ में कुछ न कुछ नुकस ढूँढ़ने में माहिर हों, हो सकता है कि आप मोदी और उनके सरकार के अंधे विरोधी हों, मगर फिर भी आप कश्मीर में आये बदलावों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। निसंदेह कुछ कश्मीरी एक ही सोच से चिपके रहना चाहते हैं। वहां के कुछ बुद्धिजीवियों की लिए कश्मीर की ‘पहचान’ (जिसकी परिभाषा बहुत साफ़ नहीं है) सबसे अहम, सबसे ऊपर है। फिर चाहे इसका मतलब सतत लूट, पहचान का राजनीतिकरण, उसे अन्य पहचानों से जुदा करना, लोगों को कटूर बनाना, उनका दमन करना और कश्मीर की भूमि और उसकी पहचान को अतीत में धकेलना ही क्यों न हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम द्वेष के लेंस लगे चरमे उतार कर जम्मू-कश्मीर और विशेषकर घाटी में हुई प्रगति को देखें। कश्मीर को बहुत समय बाद विकास का स्वाद चखने को मिल रहा है, वह प्रगति और शांति, ग्लैमर और चमक-दमक का मज़ा ले रहा है। कश्मीर का मतलब अब हिंसा नहीं है। वहां शांति है। अल्पसंख्यकों की हत्याएं और सेना पर हमले कब-जब इस शांति को भंग करते हैं।

क्या आप अधिकार से वंचित रहना चाहते हैं

अल्लादा कृष्णस्वामा अरयर

महोदय, इस अनुच्छेद पर, जिस रूप में वह है, दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं। एक भावना पर आश्रित है और दूसरी, किसी अन्य राज्य के सदन के उन विशेषाधिकारों के उल्लेख करने के औचित्य पर, जिनसे सामान्य नागरिक तथा यहाँ के संसद सदस्य संभवतः परिचित नहीं हैं ... यह सबको विदित है कि सबसे अधिक विस्तृत विशेषाधिकारों का प्रयोग इंग्लैंड के संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। अभी निर्मित भारतीय विधान-मंडल के वर्तमान विशेषाधिकारों के समान ही यदि विशेषाधिकार रखे जाएं, तो फल यह होगा कि सदन की अवज्ञा करने पर भी किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकेगा। ... ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त संघ अधिनियम में तथा कनाडा के अधिनियम में विस्तृत पदावली के कारण, दोनों स्थानों की संसद को वे ही अधिकार हैं, जो इंग्लैंड की संसद को प्राप्त हैं, अतः उनको अवज्ञा के लिए दंड देने का अधिकार है। क्या आप स्वयं को इस अधिकार से वर्चित रखना चाहते हैं? प्रश्न तो यह है। मैं अब दूसरी आपत्ति पर विचार करूँगा। यदि आपके पास संक्षिप्त रूप में समस्त विशेषाधिकारों की तालिका बनाने का समय तथा अवकाश है, तो यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि इस सभा के विधायी पक्ष की ओर अध्यक्ष द्वारा निर्मित समिति ने तब तक (विशेषाधिकार) तालिका बनाना बहुत ही कठिन समझा, ... इस प्रयोजन के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, अतः समिति इस विषय में अध्यक्ष को कोई है। ... हिंदी के साथ-साथ कुछ समय के लिए हम अपना विधान अंग्रेजी में रख रहे हैं, तो इंग्लैंड के विशेषाधिकारों के उल्लेख पर आपत्ति क्यों? दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकारों की सूची बनाने के लिए उचित तंत्र की स्थापना करने में संसद के आगे कोई रुकावट नहीं है। इस अनुच्छेद में इस बात के लिए विस्तृत क्षेत्र हैं। अन्य बातों में संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ वही होंगी, जो संसद समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करेगी और वे जब तक परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी, जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद में बस यही कहा गया है। यह आपके स्वविवेक में किसी रूप से रुकावट नहीं डालता है। आप विशेषाधिकारों को बढ़ा सकते हैं, उनको घटा सकते हैं तथा अन्य प्रकार के विशेषाधिकार रख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का उल्लेख किए बिना आप स्वयं अपने विशेषाधिकार तय कर सकते हैं। ... केवल अस्थायी रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को इस सदन पर लागू किया गया है। मर्यादा के विरुद्ध होने से कोसों दूर रहकर इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। ... अतः खंड (3) के शब्दों में कोई बात मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। इस प्रथा का अनुसरण लाभदायक रूप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अन्य देशों में हुआ है और उससे अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तथा हरेक प्रकार से सदन को सर्वशक्ति प्राप्त हो गई है। जब हम


अंग्रेजी भाषा ग्रहण कर रहे हैं तथा जब हम उन विवेधानिक पदों का प्रयोग कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में प्रचलित हैं, तो हमें इस बात को भी ग्रहण करने से नहीं कठतराना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि यदि हम यह कहते हैं कि विशेषाधिकार वे ही होंगे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं, तो इसमें गुलामी की बृहत् है, यह दासत्व का चिह्न है। पर यह बात कोसों दूर है। अज इंग्लैंड की संसद ग्रेट ब्रिटेन, अधिराज्यों तथा अन्य राज्यों पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। यह कहना कि आप उतने ही महान हैं, जितना कि ग्रेट ब्रिटेन, तो यह बल्कि अपने आत्मसम्मान की पुष्टि करना है तथा अपनी संसद की सर्वशक्ति की भी पुष्टि करना है। अतः श्रीमान, मैं निवेदन करता हूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के उल्लेख पर जो आपत्ति की गई है, उसमें बिल्कुल बल नहीं है। इन हालात में यह अनुच्छेद ब्रिटेन के प्रति दासत्व, गुलामी तथा भृत्यभाव की भावना के अधीन निर्माण किए जाने से निर्मित होते हैं कोसों दूर रहकर आत्म-पुष्टि की भावना से निर्मित किया गया है और इस भावना की पुष्टि के लिए बनाया गया है कि हमारा देश तथा हमारी संसद उतनी ही महान है, जितनी ग्रेट ब्रिटेन की संसद दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकारों की सूची बनाने के लिए उचित तंत्र की स्थापना करने में संसद के आगे कोई रुकावट नहीं है। इस अनुच्छेद में इस बात के लिए विस्तृत क्षेत्र हैं। अन्य बातों में संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार और द्वारा परिभाषित करेगी और वे जब तक परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी, जो इस संविधान के

प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम को संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदर्यों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद में बस यही कहा गया है। यह आपके स्वविवेक में किसी रूप से रुकावट नहीं डालता है। आप विशेषाधिकारों को बढ़ा सकते हैं, उनको घटा सकते हैं तथा अन्य प्रकार के विशेषाधिकार रख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का उल्लेख किए बिना आप स्वयं अपने विशेषाधिकार तय कर सकते हैं। पर यह बात कोसों दूर है। आज इंग्लैण्ड की संसद ग्रेट ब्रिटेन, अधिराज्यों तथा अन्य राज्यों पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। यह कहना कि आप उतने ही महान हैं, जिनका कि ग्रेट ब्रिटेन, तो यह कोई निम्न भावना का संकेत नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की पुष्टि करना है तथा अपनी संसद की सर्वशक्ति की भी पुष्टि करना है। अतः श्रीमान, मैं निवेदन करता हूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के उल्लेख पर जो आपत्ति की गई है, उसमें बिल्कुल बल नहीं है। इन हालात में यह अनुच्छेद ब्रिटेन के प्रति दासत्व, गुलामी तथा भूत्यभाव की भावना के अधीन निर्माण किए जाने से कोसों दूर रहकर आत्म-पुष्टि की भावना से निर्मित किया गया है ... केवल अस्थायी रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को इस सदन पर लागू किया गया है। मर्यादा के विरुद्ध होने से कोसों दूर रहकर इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। अतः खंड (3) के शब्दों में कोई बात मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। इस प्रथा का अनुसरण लाभदायक रूप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अन्य देशों में हुआ है और उससे अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तथा हरेक प्रकार से सदन को सर्वशक्ति प्राप्त हो गई है।

क्या हमेशा के लिए बदल जाएंगे चुनाव

ਹਰਜਿੰਦਰ

नवंबर महीने की शुरूआत में एक ई-मेल इनबॉक्स में आया। यह मेल एक वेबसाइट का था, जो एआई वॉयस जेनरेटर है, यानी कृत्रिम बुद्धि से तरह-तरह की आवाजें तैयार करने वाली वेबसाइट। इस मेल में दो लिंक थे- एक वेबसाइट का और दूसरे में नाम लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब इस दूसरे लिंक को क्लिक किया, तो वहां पंजाबी का एक गाना मिला- तु मेरी हीर लगदी...। 45 सेकंड के इस गाने की खासियत यह थी कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हूबहू आवाज में तैयार किया गया था। यह दरअसल एक नमूना था यह बताने के लिए कि वह वेबसाइट क्या कमाल कर सकती है? दूसरे लिंक को क्लिक करने पर जब हम वेबसाइट पर पहुंचे, तो वहां बताया गया कि आप 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर किसी की आवाज में कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी बात किसी के मुँह से कहलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 399 रुपये का यह सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, तो इंटरनेट पर यही काम कराने के मुफ्त विकल्प भी मौजूद हैं। अभी चंद रोज पहले जब पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, तो पार्टी ने इमरान खान की आवाज में एक धन्यवाद संदेश जारी किया। इमरान खान जेल में बंद थे और वहां इस तरह की किसी रिकॉर्डिंग की सुविधा उनके पास नहीं थी। साफ है, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई से तैयार आवाज थी, जो बिल्कुल उसी तरह की थी, जैसी इमरान खान की आवाज है। 2024 को चुनावों का साल कहा जा रहा है। इस साल दुनिया के कई बड़े और महत्वपूर्ण देशों में चुनाव होने हैं। पाकिस्तान का चुनाव इस साल का पहला महत्वपूर्ण चुनाव था और इस चुनाव में ही एआई



ने दस्तक दे दी। ऐसा नहीं है कि एआई का इस्तेमाल इसके पहले के चुनावों में नहीं हुआ है। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें, तो दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में इसका इस्तेमाल सीमित स्तर पर हुआ था। एप्मआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की बीजेपी को वोट देने की अपील के कुछ वीडियो जारी हुए थे। जो मूल वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसमें तो वह हिंदी में दिल्ली के मतदाताओं से वोट देने की अपील करते हैं। एआई की एक वीडियो तकनीक डीपफेक से इसके कई संस्करण तैयार हुए, जिनमें किसी में वह हरियाणवी में वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो किसी वीडियो में भोजपुरी में और किसी में पंजाबी में। ये वीडियो इतनी अच्छी तरह तैयार किए गए थे कि किसी में कोई लब-ओ-लहजा गलत नहीं लग रहा था। एआई का इस तरह का इस्तेमाल आपत्तिजनक नहीं है। समस्या वास्तव में इसके आपत्तिजनक इस्तेमाल को लेकर ही है, जिसके संकेत दिखने लग गए हैं। इसी

साल के अंत में अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हैं। पिछले दिनों वहां राष्ट्रपति जो बाइडन का एक वीडियो हर जगह दिखाई देने लगा, जिसमें वह कह रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को बोट ही नहीं डालने चाहिए। जाहिर है, यह फर्जी वीडियो था, जो डीपफेक से तैयार किया गया था। इस नए रुझान को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपफेक को लेकर देश और अपनी पार्टी के लोगों को एक से अधिक बार आगाह कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ हमारी राजनीति में इससे पहले नहीं था। यह हमेशा से रहा है और सोशल मीडिया के आगमन के बाद पिछले एक दशक में फेक न्यूज के रूप में इसने बहुत उथल-पुथल मचाई है। इसने तनाव पैदा किए हैं, दिगंगे करवाए हैं और यह मॉब लिंचिंग का कारण भी बनी है। इसने अतीत की महान हस्तियों पर कीचड़ उछाला है, प्रतिष्ठित महिलाओं का चरित्र हनन किया है और तमाम तरह के झूठे इतिहास लोगों के दिमागों में दूसंस दिए हैं। फेक न्यूज के इन तौर-तरीकों ने हमारे

